उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता -2006 की धारा -30

30. मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण -

[(1)] कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा और उसमें प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अन्तराल पर जैसा विहित किया जाए , *[गांव] की सीमा में या सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित करायेगा और किन्हीं गलतियों और लोप को जो समय-समय पर पाई जाय भी ठीक करायेगा।

[(2) मिनजुमला संख्या का विहित रीति से भौतिक विभाजन किया जायेगा और मानचित्र तथा खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को तद्नुसार संशोधित किया जायेगा ।]

_____*_____

उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की धारा -25

25. नक्शा व क्षेत्रिक पंजी (खसरा):-

धारा 30 (1) –(1) कलेक्टर, प्रत्येक ग्राम के लिए एक क्षैत्रिक पंजी (खसरा) **आर० सी० प्रपत्र 4** में तैयार तथा अनुरक्षित करायेगा और (खसरा संख्याओं या गाटा संख्याओं की सीमाओं को दर्शाते हुए) एक मानचित्र जिसमें धारा 30 में निर्दिष्ट परिवर्तनों का अंकन हो, रखेगा।

(2) फसली वर्ष 1428 से पूर्व के वर्षों की क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख-रखाव **आर० सी० प्रपत्र-4** में किया जाएगा तथा इसको समय-समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार अनुरक्षित व संरक्षित किया जाएगा।

(3) जिन क्षेत्रों में उ० प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 प्रवृत्त था , उन क्षेत्रों में फसली वर्ष 1428 व उसके बाद के क्षैत्रिक पंजी (खसरा) का रख-रखाव **आर० सी० प्रपत्र-4 क** में कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) स्वरूप में किया जाएगा।

(4) फसली वर्ष की समाप्ति पर खसरा प्रविष्टियों को अपरिवर्तनीय बनाते फ्रीज करते हुए क्षेत्रक पंजी (खसरे) की प्रति, पी० डी० एफ० अथवा अन्य किसी अपरिवर्तनीय फार्मेट में परिषद स्तर पर राज्य डाटा केन्द्र अथवा शासकीय इलेक्ट्रानिक क्लाउड जैसे मेघराज आदि में शाश्वत रूप से संरक्षित की जाएगी तथा उसकी एक मुद्रित प्रति , अभिलेखार्थ तहसील स्तर पर 12 वर्ष तक के लिए संरक्षित की जायेगी।

(5) **आर० सी० प्रपत्र 4क** में प्रविष्टियां समय-समय पर जारी शासनादेशों व परिषदादेशों के अनुसार कम्प्यूटरीकृत (डिजिटल) रूप में दर्ज की जायेंगी।]

उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की धारा -26

26. मिनजुमला गाटों के विभाजन की स्कीम (धारा 30 (2) :-

(1) परिषद, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कलेक्टर को यह निदेश देगा कि मिनजुमला गाटों का भौतिक रूप से विभाजन किया जायेगा और राजस्व अभिलेख तद्नुसार संशोधित किये जायेंगे।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अन्तर्गत आदेश होने पर कलेक्टर प्रत्येक गांव के लिये मिनजुमला भूखण्डों की एक विभाजन स्कीम तैयार करायेगा।

(3) मिनजुमला गाटों की विभाजन स्कीम तैयार कराने के प्रयोजनार्थ मिनजुमला गाटों को प्रारम्भिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा **आर० सी० प्रपत्र 5** में तैयार की जायेगी।

(4) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम लेखपाल द्वारा सम्बन्धित खातेदारों एवं भूमि प्रबन्धक समिति के परामर्श से तैयार की जायेगी।

(5) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम तैयार करने निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जायेगा-

(क) प्रत्येक खातेदार को आवंटित भाग यथासम्भव संहत होगा।

(ख) यथासम्भव किसी भी खातेदार को सभी निम्न श्रेणी की अथवा सभी उच्च श्रेणी की भूमि आवंटित नहीं की जायेगी।

ग) यदि मिनजुमला गाटे के खातेदार आपसी विभाजन के आधार पर मौके पर अलग-अलग कब्जे में हैं तो उसे यथासम्भव, अलग-अलग कब्जे के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

(घ) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव , उस स्थान पर क्षेत्रफल आवंटित किया जायेगा जहां पर उसके सिंचाई का वैयक्तिक स्रोत अथवा कोई अन्य सुधार स्थित हो।

(ङ) यदि भूखण्ड या उसका कोई भाग वाणिज्यिक मूल्य का है अथवा सड़क , आबादी या वाणिज्यिक मूल्य को अन्य भूमि से लगा हुआ है तो यथासम्भव उसे ऐसी सड़क , आबादी या

वाणिज्यिक मूल्य की अन्य भूमि से लगा हुआ आनुपातिक रूप से प्रत्येक खातेदार को आवंटित किया जायेगा।

(6) लेखपाल एक मानचित्र तैयार करेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा जिसमें प्रत्येक खातेदार को दिये गये क्षेत्रफल को भिन्न-भिन्न रंगों में दर्शाया जायेगा।

(7) मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम तैयार होने के बाद खातेदार पर **आर० सी० प्रपत्र-6** में नोटिस के तामीला के दिनांक से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर आपत्ति , यदि कोई हो, आमंत्रित करते हुये मिनजुमला गाटे के प्रत्येक खातेदार को नोटिस निर्गत की जायेगी।

(8) उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी की गयी नोटिस के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से आपत्ति प्राप्त करने के बाद , राजस्व निरीक्षक ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से पक्षों के बीच सुलह के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(9) सुलह के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा तय न की जाने वाली सभी आपत्तियां प्रारम्भिक विभाजन स्कीम के साथ उप- -जिलाधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को अग्रसारित कर दी जायेंगी।

(10) कलेक्टर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद आपत्ति , यदि कोई हो, को तय करेगा और उसके बाद या तो मिनजुमला गाटों की प्रारम्भिक विभाजन स्कीम की पुष्टि करेगा या ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा व उचित समझे।

(11) मानचित्र, खसरा और खतौनी को मिनजुमला गाटों की पुष्टिकृत विभाजन स्कीम के अनुसार संशोधित किया जायेगा।

(12) इस नियम के अन्तर्गत पारित कोई आदेश संहिता की धारा 210 के अन्तर्गत पुनरीक्षण के अधीन, अन्तिम होगा।

उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की धारा -26

आर. सी. प्रपत्र -5

[देखे 26 (3)]

मिनजुमला संख्याओं की प्रारम्भिक विभाजन योजना

भू- खण्ड संख्या	भू- खण्ड संख्या का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	प्रत्येक मिनजुमुला संख्या के खातेदारों का नाम हिंदी वर्ण माला क्रम में	मिलिजुमाला संख्या में खातेदार का क्षेत्रफल	मिलिजुमाला संख्या का प्रस्तावित मानचित्र जिसमे खातेदारों का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न रंगों में प्रस्तावित किया गया है
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर

नाम क्षेत्रीय लेखपाल

उ० प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 की धारा -26

आर० सी० प्रपत्र 6

[देखें नियम 26 (7))

मिनजुमला संख्याओं की प्रारम्भिक विभाजन योजना के सम्बन्ध में नोटिस

सेवा में ,

--

--

-----(खातेदार का नाम और पता)

नियमावली के नियम 25 के अन्तर्गत तैयार किये गये मिनजुमला संख्याओं के प्रारम्भिक विभाजन स्कीम के अनुसार मिनजुमला संख्या... -------- परगना...---------- . तहसील.----------जिला ----------को भौतिक रूप में . निम्नवत् विभाजित किया गया है-

(सर्वे संख्या का मानचित्र जिसमें खातेदारों को आवंटित भाग विभाजित .रूप में इंगित किया गया हो)

यदि आपको उपरोक्त मिनजुमला संख्या के प्रस्तावित विभाजन के बारे में कोई आपत्ति हो तो आप प्रारम्भिक विभाजित योजना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अन्दर लेखपाल के समक्ष अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। यदि विहित अवधि के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जायेगा कि आपको प्रस्तावित विभाजन योजना के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं है और तदनुसार आदेश पारित किया जायेगा।